प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 722 सन 2021
अनवान :–

1. कमल पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :–

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की ननाउ के खाता संख्या 2/627 की कुल 6.3230हैक्ट में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 593/0 की कुल 3.8450हैक्ट मे से 63/19225 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम सेठी पुत्र हनुमान दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम कमल पुत्र हनुमान है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम कमल पुत्र हनुमान है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड, शिक्षा विभाग की मार्कशीट सभी में वादी का नाम कमल पुत्र हनुमान दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सेठी पुत्र हनुमान दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर सेठी वल्द हनुमानग के स्थान पर कमल पुत्र हनुमान संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प कोर्ट में पेश होने पर वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की ननाउ के खाता संख्या 2/627 की कुल 6.3230हैक्ट में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 593/0 की कुल 3.8450हैक्ट मे से 63/19225 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम सेठी पुत्र हनुमान दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम कमल पुत्र हनुमान है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम कमल पुत्र हनुमान है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड, शिक्षा विभाग की मार्कशीट सभी में वादी का नाम कमल पुत्र हनुमान दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सेठी पुत्र हनुमान दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की ननाउ के खाता संख्या 2/627 की कुल 6.3230हैक्‍ में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 593/0 की कुल 3.8450हैक्‍ मे से 63/19225 हिस्सा भूमि जिसमें वादी का नाम सेठी दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय कमल पुत्र हनुमान के स्थान पर सेठी पुत्र हनुमान दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, शिक्षा विभाग की मार्क शीट सभी में वादी का नाम कमल पुत्र हनुमान दर्ज है। तथा सरपंच ग्राम पंचायत ननाउ ने प्रार्थी के नाम के सम्बध तस्दीक पेश की गई है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं सरपंच की तस्दीक के अनुसार प्रार्थी का नाम कमल होना प्रतीत होता है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्रम पंचायत ननाउ के प्रमाण पत्र के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि ननाउ के खाता संख्या 2/627 की कुल 6.3230हैक्‍ में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 593/0 की कुल 3.8450हैक्‍ मे से 63/19225 हिस्सा भूमि में वादी का नाम सेठी पुत्र हनुमान अंकित है के स्थान पर कमल उर्फ सेठी पुत्र हनुमान संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट...ननाउ.

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. कमल पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 722 सन 2020 निर्णय दिनांक–04.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष उभयपक्षो की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती कि ननाउ के खाता संख्या 2/627 की कुल 6.3230हैक्ट में से 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 593/0 की कुल 3.8450हैक्ट मे से 63/19225 हिस्सा भूमि में वादी का नाम सेठी पुत्र हनुमान अंकित है के स्थान पर कमल उर्फ सेठी पुत्र हनुमान संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/10/2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
केम्प कोर्ट.....ननाउ

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner